न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी : सुप्रिया (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 85/2025

महबुब पुत्र महरूम गन्नी जाति फकीर निवासी सिंगनौर तहसील गुढगौडजी, जिला झुंझुनूं।

:– वादी

बनाम

1. संतोष देवी पत्नी चौथूराम जाति गुर्जर निवासी गोठडा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं (नाम हजफ)
2. सुशीला पत्नी सतवीर जाति जाट निवासी धींवा की ढाणी तन टोडपुरा तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।
3. मुन्शी पुत्र महरूम गन्नी
4. ईशाक पुत्र महरूम गन्नी
5. रहमती पुत्री महरूम गन्नी
6. फातमा पुत्री महरूम गन्नी (नाम हजफ)
7. ऐमना पुत्री महरूम गन्नी
8. भंवरी पुत्री महरूम गन्नी

समस्त जातियान फकीर निवासी सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

9. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार गुढागौड़जी तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
10. नामराज सिंह पुत्र ईशरराम जाति जाट निवासी सिंगनौर तहसील गुढागौडजी जिला झुंझुनूं।
11. मुकेश कुमार पुत्र फुलचन्द निवासी भोड़की तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं।

प्रतिवादीगण

वकील वादी :– उम्मेद राज सैनी व रविराज सिंगोदिया।
वकील प्रतिवादी:– कमेर सिंह।

दावा बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
निर्णय

निर्णय दिनांक 08.09.25

संक्षेप में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सींव में वर्तमान खाता संख्या 527 में हाल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.8300 है0 किस्म बारानी प्रथम व द्वितीय व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.9100 है0 किस्म बारानी प्रथम व द्वितीय कुल किता 2 कुल रकबा 1.7400 है0 कृषि भूमि अवस्थित है। जिसे आगे दावे में वादग्रस्त संपति के नाम से संबोधित किया गया है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर भूमि के पूर्व खातेदार काश्तकार में वादी के पिता गन्नी 1/2 हिस्से एवं सायरा पत्नी असगर 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार थे। जिनके नाम राजस्व रिकॉर्ड भी चला आया। उपरोक्त गन्नी का देहांत हो चुका है तथा गन्नी की पत्नी बरकती बानों का भी देहांत हो चुका है, उनके देहांत के बाद गन्नी के 1/2 हिस्से पर उसके विधिक वारिसान वादी व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 8 काबिज काश्तकार हुए। इसी अनुसार उनके हक हिस्से की खातेदारी भूमि में पुत्र संतानों व पुत्री संतानों को मुस्लिम शरीयत के अनुसार खातेदारी हक अधिकार प्राप्त हुए। वादग्रस्त खसरा नम्बर की भूमि में गन्नी का 1/2 हिस्सा था जिसमें पुत्रगण यानि वादी एवं प्रतिवादीगण 3 व 4 का प्रत्येक का 1/7वां हिस्सा एवं पुत्रियों यानि प्रतिवादीगण 5 लगायत 8 प्रत्येक को 1/56–1/56वां हिस्सा प्राप्त हुआ। उपरोक्त गन्नी का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से हैः–

गन्नी (फौत)

बरकती (पत्नी) (फौत)	मुंशी (पुत्री) (प्र.वा. 3)	महबुब (पुत्र) (वादी)	ईशाक (पुत्र) (प्र.वा. 4)	रहमती (पुत्री) (प्र.वा. 5)	फातमा (पुत्री) (प्र.वा. 6)	ऐमना (पुत्री) (प्र.वा. 7)	भंवरी (पुत्री) (प्र.वा. 8)

उक्त वादग्रस्त संपति में वर्णित खसरा नम्बर के शेष 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार पूर्व में सायरा पत्नी असगर थी जिन्होंने अपने हक–हिस्से 1/2 अविभाजित भूमि प्रतिवादिया नम्बर 1

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

देवी को विक्रय कर दी और वादग्रस्त खसरा नम्बर में सायरा के स्थान पर प्रतिवादी नंबर 1 बेज हो गयी। इस आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नामांतकरण कार्यवाही होकर प्रतिवादियां नम्बर 1 नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। प्रतिवादियां नम्बर 1 शामलाती खातेदारी भूमि में अजनबी व्यक्ति है। बार–बार वादी द्वारा प्रतिवादिया नम्बर 1 को विभाजन हेतु कहा गया तो प्रतिवादिया नम्बर 1 ने अन्य प्रतिवादीगण 3 लगायत 8 को अपने प्रभाव में लेकर वादी को तंग परेशान करना शुरू कर दिया और वादी को आये दिन उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की धमकी देने लगे। इस प्रकार से वादी के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ। प्रतिवादिया नमबर 1 वादी से नाराजगी रखने लगी जिसके चलते वादग्रस्त अविभाजित कृषि भूमि में से अपने 1/2 हिस्से में से 11/174 वां हिस्से का विक्रय पत्र प्रतिवादियां नम्बर 2 सुशीला देवी के हक हिस्से में करवा दिया। इस प्रकार से प्रतिवादियां नम्बर 1, 2 व इनके परिवार के सदस्य वादी को आये दिन तंग परेशान करने लगे जबकि वादी बार–बार सभी खातेदारों के मध्य किसी प्रकार का झगडा न रहे लेकिन प्रतिवादीगण अनसुनी करते आये हैं। प्रतिवादियां नम्बर 1 व 2 आये दिन वादग्रस्त खसरा नम्बर की अविभाजित भूमि के विशेष भू–भाग पर कब्जा करने की धमकी देने लगे जिसके चलते प्रतिवादिया नम्बर 2 ने भूमि खसरा नम्बर 231 के एक विशेष हिस्से पर दिनांक 18.04.2025 को निर्माण सामग्री डालकर कब्जा करने का प्रयास करने लगी जिस पर वादी द्वारा ऐतराज किया गया तो प्रतिवादियां नम्बर 2 व उसके परिजन मरने–मारने पर उतारू हो गये। इस प्रकार से वादी को अपने हक अधिकारों के लिए खाता विभाजन का दावा पेश करना आवश्यक हुआ। अतः वादपत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पैदा हुआ। अन्त में वादी ने वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाद वादी स्वीकार फरमाया जाकर राजस्व ग्राम सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सींव में वर्तमान खाता संख्या 527 में हांल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.8300 है0 किस्म बारानी प्रथम व द्वितीय व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.9100 है0 किस्म बारानी प्रथम व द्वितीय कुल किता 2 कुल रकबा 1.7400 है0 कृषि भूमि का विधिवत् विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के मध्य किया जाकर वादी अपने 1/7 हिस्से का अलग से खाता विभाजन करवाकर अलग से खाता खतौनी जारी करवाने तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करवाने के अधिकारी है।

उपरोक्तानुसार दावा पेश होने पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिक प्रक्रियानुसार दिनांक 29.08.2025 को वाद वादी प्राथमिक तौर पर स्वीकार किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया तथा तहसीलदार गुढागौड़जी को मौका कमिश्नर नियुक्त कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव अपने पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2671 दिनांक 03.09.2025 के द्वारा इस न्यायालय में भिजवाये गये। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी को बहस पत्रावली पर सुना गया। अधिवक्ता ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की। बाद अवलोकन पत्रावली व बगौर मनन बहस वाद वादी न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: निर्णय :–

वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सींव में वर्तमान खाता संख्या 527 में हाल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.8300 है0 किस्म बारानी प्रथम व द्वितीय व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.9100 है0 किस्म बारानी प्रथम व द्वितीय कुल किता 2 कुल रकबा 1.7400 है0 कृषि भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2671 दिनांक 03.09.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो तथा बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.09.25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे)
झुन्झुनू

सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.), झुंझुनूं जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री सुप्रिया आर. ए. एस.)

उनवान

उनवान महबुब बनाम संतोष देवी वगैरह

मुकदमा नं. : 85/2025 निर्णय दिनांक : 08.09.25

वादी अधिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 08.09.2025 को सुप्रिया सहायक कलक्टर झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी सिद्ध होने पर अंतिम रूप से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम सिंगनौर तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं की सींव में वर्तमान खाता संख्या 527 में हाल खसरा नम्बर 231 रकबा 0.8300 है0 किस्म बारानी प्रथम व द्वितीय व खसरा नम्बर 232 रकबा 0.9100 है0 किस्म बारानी प्रथम व द्वितीय कुल किता 2 कुल रकबा 1.7400 है0 कृषि भूमि बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक खाता विभाजन के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक भू0अ0/2025/2671 दिनांक 03.09.2025 के द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 08.09.25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वावत इजराय हुक्मनामा	5 1	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनतनामा वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	
योग	6	योग	

(सुप्रिया)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे)
झुन्झुनू
सहायक कलक्टर
झुंझुनूं (राज.)